कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/570 **दिनांकः– 22/12/23**

–:कार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 37/2023 वीं बैठक दिनांक 22.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है। बैठक के दौरान जोन–3 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–3 की 29/2023 वीं बैठक दिनांक 03.10.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– **समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 03.10.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 01 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन--3	जोधपुर	1029/740/1	03.01.04 बीघा (4953.34 वर्गमीटर)	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्रीमती अंजु बंग पत्नी श्री भगवतीप्रसाद बंग, रिध्दिमा पुत्री श्री भगवतीप्रसाद बंग, गरिमा बंग पुत्री श्री भगवतीप्रसाद बंग				
विषयः–	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1029/740/1 रकबा 03.01.04 बीघा (4953.34 वर्गमीटर) में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार 60 फीट एवं रेकर्ड अनुसार प्रमाणित नक्शा लठ्ठा उपलब्ध नही है राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार 40 फीट एवं रेकर्ड अनुसार प्रमाणित नक्शा लठ्ठा उपलब्ध नही है। पूर्व में उक्त सडक पर 60 फीट सडक आरक्षित करते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदित किए गए है। 3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 09.05.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 24 पर संलग्न है।) 4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर चारदीवारी निर्मित है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः--** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।				

3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।
8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 02 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	जोधपुर	1029/740/2	00.15.10 बीघा (1254.52 वर्गमीटर)	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्रीमती मुमताज पत्नी श्री मो. अनवर				
विषयः–	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1029/740/2 रकबा 00.15.10 बीघा (1254.52 वर्गमीटर) में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः– **समिति को अवगत करवाया गया कि :–**

1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है।
2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार 60 फीट एवं रेकर्ड अनुसार प्रमाणित नक्शा लठ्ठा उपलब्ध नही है राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार 40 फीट एवं रेकर्ड अनुसार प्रमाणित नक्शा लठ्ठा उपलब्ध नही है। पूर्व में उक्त सडक पर 60 फीट सडक आरक्षित करते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदित किए गए है।
3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 09.05.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 19 पर संलग्न है।)
4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।
5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में मौके पर टीनशैड युक्त फैक्ट्री निर्मित है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. आवेदित भूमि में मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।
8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	जोधपुर	1029 / 740 / 3	00.15.10 बीघा (1254.52 वर्गमीटर)	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*

आवेदक	श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री हाजी अब्दुल रहमान
विषयः–	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1029 / 740 / 3 रकबा 00.15.10 बीघा (1254.52 वर्गमीटर) में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

निर्णयः– **समिति को अवगत करवाया गया कि :–**

1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है।
2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार 60 फीट एवं रेकर्ड अनुसार प्रमाणित नक्शा लठ्ठा उपलब्ध नही है राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच

	मार्ग मौका अनुसार 40 फीट एवं रेकर्ड अनुसार प्रमाणित नक्शा लठ्ठा उपलब्ध नही है। पूर्व में उक्त सडक पर 60 फीट सडक आरक्षित करते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदित किए गए है। 3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 09.05.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 21 पर संलग्न है।) 4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। 5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण भाग में मौके पर टीनशैड युक्त फैक्ट्री निर्मित है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः-** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 5. आवेदित भूमि में मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-3	तनावडा	440/30	1.4726 है0 में से 02.01.00 बीघा (3318.42 वर्गमीटर)	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मांगीलाल पुत्र श्री छोटाराम				

विषयः–	राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 440/30 रकबा 1.4726 है0 में से 02.01.00 बीघा (3318.42 वर्गमीटर) में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 40 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर आवासीय एकल भूखण्ड अनुज्ञेय है। 2. गत बैठक दिनांक 20.07.2023 में लिए गए निर्णय के कम में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहे पहुंच मार्ग पर निर्मित दुकानों को हटा दिया गया है। पत्रावली प्रस्तुत करते समय गूगल मानचित्र में उक्त दुकानें दर्शित हो रही थी। परन्तु गूगल मानचित्र अपडेट नही होने के कारण उक्त दुकान की ईमेंज दर्शित हो रही थी। साथ ही आवेदित भूमि के पास पूर्व में 40 फीट पहुंच मार्ग निर्धारित करते हुए ले–आउट प्लान जारी किए गए है। उपरोक्त के कम में पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग में किसी प्रकार का निर्माण नही पाया गया। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका एवं रेकर्ड अनुसार 50 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त सडक का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। 4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 10.02.2023 को जारी किया जा चुका है। (प्रति पृष्ठ संख्या 24 पर संलग्न है।) 5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही है तथा मौके पर रिक्त है। जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि दक्षिण–पूर्व दिशा में स्थित विद्युत लाईन से प्रभावित नही है जिसकी सुनिश्चितता हेतु विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त किया जाना उचित होगा। 6. आवेदक द्वारा खसरा संख्या 440/30 कुल रकबा 1.4726 है0 में से 02–01–00 बीघा का आवेदन प्रस्तुत किया है। (राजस्व मानचित्र की प्रति पृष्ठ संख्या 8/सी पर संलग्न है।) **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक (A-B) का मार्गाधिकार 18 मीटर रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 12 मीटर सडक मार्गाधिकार रखा जावें। उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाये जाने के परिप्रेक्ष्य में निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस–पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत नीचे दर्शाये गये मानचित्र अनुसार (B-C, B-D) 18 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नही होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

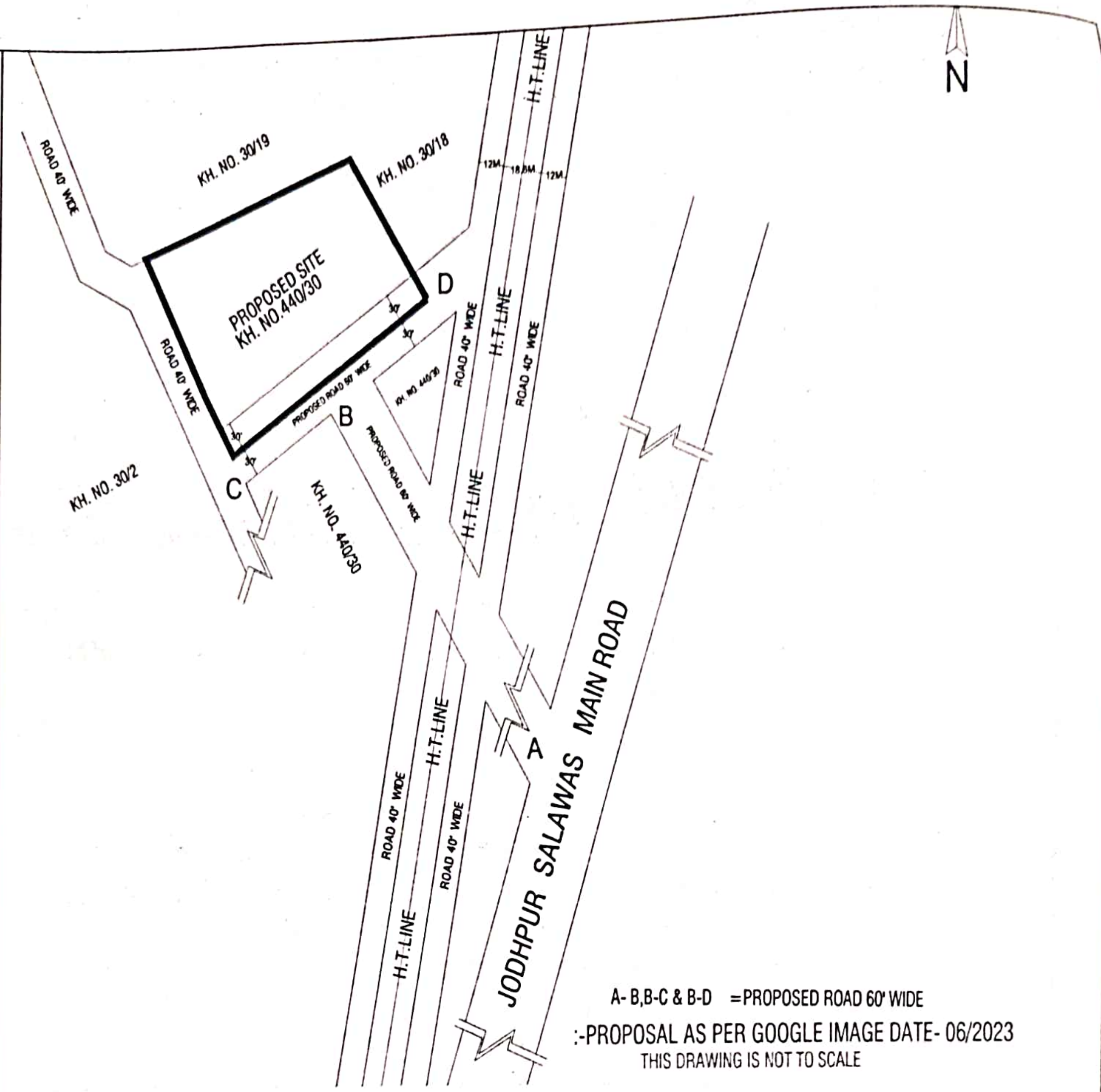

2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
3. आवेदित भूमि के सामने से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त की जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/ प्रार्थी द्वारा की जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 05 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	पाल	599 / 59 / 1	1169.54 वर्गमीटर	वाणिज्यिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री गोपीलाल अग्रवाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 599 / 59 / 1 रकबा 1169.54 वर्गमीटर में वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. गत बैठक दिनांक 03.10.2023 में लिए गए निर्णय के कम में पटवारी व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित खसरा संख्या 599 / 59 / 1 रकबा 00.14.19 बीघा के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि व उसके बाद का रास्ते का भाग राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 60 का भाग है। मौके पर भूमि रिक्त पायी गई है एवं भूमि के उपर से कोई एल.टी / एच.टी लाईन नही गुजर रही है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक एकल भूखण्ड अनुज्ञेय है। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका व रेकर्ड अनुसार 200 फीट मुख्य जोधपुर–जैसलमेंर सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर व उसके उपरान्त 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि का 90 / क आदेश दिनांक 26.12.2022 को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जारी किया गया था तथा दिनांक 03.01.2023 को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी किया गया है। (प्रति पृष्ठ संख्या 39 पर संलग्न है।) 5. कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि पर चार दीवारी निर्मित है। 6. कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि के उपर से कोई एल.टी / एच.टी लाईन नही गुजर रही है। सडक भाग में एल.टी लाईन गुजर रही है जो कि घरेलु क्षमता की है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर–जैसलमेर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर तथा उसके उपरान्त 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 6. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।				

	7. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 06 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	451/430	5166 वर्गमीटर	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*

आवेदक	श्री पन्नाराम पुत्र श्री नरसिंहराम
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 451/430 रकबा 5166 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान की 100 फीट सडक है तथा पूर्व दिशा में पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट रखा जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 13.07.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 44 पर संलग्न है।) 4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार उपलब्ध 30 मीटर सडक मार्गाधिकार एवं पूर्व दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या

	1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 07 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	446/433	3521 वर्गमीटर	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्रीमती सायरी पत्नी श्री रूगनाथराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 446/433 रकबा 3521 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध हो रहा है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 13.07.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 44 पर संलग्न है।) 4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।				

4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।
8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	445/433	3594 वर्गमीटर	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*

आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री रूगनाथराम
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 445/433 रकबा 3594 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

निर्णयः–

समिति को अवगत करवाया गया कि :–

1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है।
2. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध हो रहा है। उक्त सडक पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए कमिटमेंट किए गए है।
3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 13.07.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 45 पर संलग्न है।)
4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही है व मौके पर रिक्त है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।

	2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैo से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 09 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	419/362	1.1371 हैo में से 5099 वर्गमीटर	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*

आवेदक	श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री प्रेमाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 419/362 रकबा 1.1371 हैo में से 5099 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध हो रहा है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशा में 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 13.07.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 45 पर संलग्न है।)

4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सर्वे अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुरार आवेदित भूमि को पूर्व व पश्चिम दिशा में उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
6. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए तदानुसार नियमानुसार सेफ्टी–कॉरीडोर का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।
8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	422 / 360, 476 / 425	7897 वर्गमीटर	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री कैलाश पुत्र श्री भगवानराम व श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री शेराराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 422 / 360, 476 / 425 रकबा 7897 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः–

समिति को अवगत करवाया गया कि :–

1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है।
2. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 100 फीट उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि के उत्तर–पूर्व व पश्चिम दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान की 100 फीट रोड तथा दक्षिण–पूर्व व दक्षिण–पश्चिम दिशा में 60 फीट सडक पर पूर्व में कमिटमेंट किए गए है।
3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 13.07.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 46 पर संलग्न है।)
4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के से विद्युत लाईन गुजर नही रही है व मौके पर रिक्त है। आवेदित द्वारा प्रस्तुत सर्वे प्लान अनुसार विद्युत लाईन गुजर रही है।
5. जमाबंदी अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 7897 वर्गमीटर है परन्तु पत्रावली में संलग्न 90/क आदेश में 6699.53 वर्गमीटर क्षेत्रफल अंकित है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के उत्तर–पूर्व व पश्चिम दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार उपलब्ध 30 मीटर सडक मार्गाधिकार एवं प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दक्षिण–पूर्व दिशा व दक्षिण–पश्चिम दिशा में किए गए कमिटमेंट अनुसार 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. प्रश्नगत प्रकरण में जमाबंदी अनुसार भूखण्ड के क्षेत्रफल के संबंध में परीक्षण कर तदानुसार आवश्यकता होने पर जोन स्तर पर नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाकर 90/क आदेश के संशोधन की कार्यवाही की जावें।
6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
7. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए तदानुसार नियमानुसार सेफ्टी–कॉरीडोर का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।
9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें।

	10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	पाल	366, 366/7, 366/8	11.10.00 बीघा (18615.56 वर्गमीटर)	आवासीय योजना
आवेदक	कुमारी बसन्ती पुत्री श्री फरसाराम, श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामाराम, छगनीदेवी पुत्री श्री पदमाराम, चुकीदेवी पुत्री श्री फरसाराम, धापूदेवी पुत्री श्री बाबुलाल, रिंकू चौधरी पुत्री श्री पप्पाराम, श्री विजय शर्मा पुत्र श्री विजय शर्मा				
विषयः–	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 366, 366/7, 366/8 रकबा 18615.56 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 40 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर 2 है0 क्षैत्रफल तक की आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार 26 फीट एवं रेकर्ड अनुसार 26 फीट कटाणी मार्ग से उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सडक मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि में से 18 मीटर जोनल डवलपमेंट प्लान की सडक गुजर रही है। 4. प्रश्नगत भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 13.07.2023 को जारी किया जा चुका है। (प्रति पृष्ठ संख्या 57 पर संलग्न है।) 5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के मध्य से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक का अंकन किया जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।				

	4. निदेशक आयोजना द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले–आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 5. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 9. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 10. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 11. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 12. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 13. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 14. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	पाल	134/1	08.17.00 बीघा में से 5776.84 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	श्री खींयाराम पुत्र श्री जावताराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 134/1 रकबा 08.17.00 बीघा में से 5776.84 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 40 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर 2 है0 क्षेत्रफल तक की आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका एवम् रेकर्ड अनुसार 30 फीट कटाणी मार्ग से उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि जोनल प्लान की 40 फीट सडक पर स्थित है।				

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में पी.टी सर्वे में दर्शाए अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सडकों को निरन्तर रखा जाना अपेक्षित है।
4. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 13.07.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न है।)
5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही है व मौके पर रिक्त है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सडकों को निरन्तर रखा जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
3. निदेशक आयोजना द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले–आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
5. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
8. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
10. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
11. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें।
12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

	13. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	सालावास	1235 / 195	10.2628 है0 में से 2428 वर्गमीटर	*Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री मानाराम पुत्र श्री किशनाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1235 / 195 रकबा 10.2628 है0 में से 2428 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः–

समिति को अवगत करवाया गया कि :–

1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है।
2. जोन चैक लिस्ट एवं प्रारूप–7 की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार 50 फीट एवं रेकर्ड अनुसार 30 फीट कटाणी रोड से उपलब्ध हो रहा है। तहसीलदार लूणी एवं कनिष्ठ अभियन्ता की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका अनुसार 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त सडक पर पूर्व में 80 फीट सडक रखते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदित है तथा जोनल प्लान की 24 मीटर सडक पर स्थित है।
3. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 13.07.2023 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 47 पर संलग्न है।)
4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में मौके पर कोई विद्युत लाईन नही है व मौके पर रिक्त है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 24 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।

	7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डूकलां	570 / 374	3723 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती केलकीदेवी पत्नी श्री हरीराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डूकलां के खसरा संख्या 570 / 374 रकबा 3723 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है। 3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है। 5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।) 6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक				

	मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-3	भाण्डूकलां	571/374	1558 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती केलकीदेवी पत्नी श्री हरीराम,				
विषयः-	राजस्व ग्राम भाण्डूकलां के खसरा संख्या 571/374 रकबा 1558 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः-	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू-उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है।				

2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है।
3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है।
5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।)
6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।

201/3, 201/ 27, 223/28 127, 145, 318

2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है।
3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है।
5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।)
6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।

	8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डूकलां	572/374	1578 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्रीमती केलकीदेवी पत्नी श्री हरीराम,				
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डूकलां के खसरा संख्या 572/374 रकबा 1578 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है। 3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है। 5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।) 6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक				

	मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्‌टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्‌टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्‌टा विलेख जारी करते समय पट्‌टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 6. प्रकरण में पट्‌टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्‌टा विलेख जारी किया जावें। 8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्‌टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्‌टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 17 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	573/374,	1538 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती केलकीदेवी पत्नी श्री हरीराम				
विषय:–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 573/374 रकबा 1538 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्‌टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है।				

	2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है। 3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है। 5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।) 6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।

	8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	566/374	1562 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries एकल भूखण्ड*

आवेदक	श्री हरीराम पुत्र स्व. श्री बींजाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 566/374 रकबा 1562 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है। 3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है। 5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।) 6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक

	मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैo से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	576/374	1582 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री हरीराम पुत्र स्व. श्री बीजाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्य 576/374 रकबा 1582 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है।				

2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है।
3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है।
5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।)
6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।

	8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 20 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	577/374	1574 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री हरीराम पुत्र स्व. श्री बींजाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 577/374 रकबा 1574 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है। 3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है। 5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।) 6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक					

	मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	भाण्डू खुर्द	574/374	4856.22 वर्गमीटर	*Non Polluting handicraft Industries एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री चन्द्राराम पुत्र श्री सालुराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा संख्या 574/374 रकबा 4856.22 वर्गमीटर में *Non Polluting handicraft Industries* एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग व नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की मिश्रित प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की Non Polluting handicraft Industries अनुज्ञेय है।				

2. जोन चैक लिस्ट एवं तहसीलदार–जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट उपलब्ध होना उल्लेखित है, उक्त सडक भाग के मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से मिलान की रिपोर्ट जोन स्तर से अपेक्षित है।
3. प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक भाग के बाद खसरा संख्या 121 रकबा 4.5801 है0 गै.मु नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में समर्पित 60 फीट मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान में नदी के उपरान्त प्रावधानित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है।
5. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 24.11.2022 को की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।)
6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व मौके पर रिक्त है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्रश्नगत प्रकरण में जोन द्वारा 90/क आदेश जारी किया जा चुका है, अतः मुख्य सडक (जोधपुर–बाडमेर राजमार्ग) से आवेदित भूमि के सामने समर्पित सडक तक मिलान/सडक हेतु भूमि समर्पण की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर पहुंच मार्ग जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी में से है। अतः 18 मीटर समर्पित सडक मार्गाधिकार नदी/प्रतिबंधित क्षेत्र का भाग ना हो की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त शेष 12 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण पट्टी (निर्माण निषिद्व क्षेत्र) का अंकन किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।

	8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 22 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	धिनाणा की ढाणी	468/3	8093.71 वर्गमीटर	*औद्योगिक व सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड*

आवेदक	मैसर्स पेक पाईन्ट जरिये भागीदार श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री सुनिल जैन
विषयः–	राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 468/3 रकबा 8093.71 वर्गमीटर में औद्योगिक व सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदक द्वारा औद्योगिक भू–उपयोग में औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवम् आवासीय भू–उपयोग में सामान्य वेयर हाउस प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर औद्योगिक एकल भूखण्ड अनुज्ञेय है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना एवं प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2023 में लिए गए निर्णय अनुसार आवासीय भू–उपयोग में सामान्य वेयर हाउस अनुज्ञेय है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौका एवं रेकर्ड अनुसार 60 फीट पूर्व में अनुमोदित रीको के ले–आउट प्लान से उपलब्ध हो रहा है। 3. आयोजना शाखा में उपलब्ध रीको मानचित्र (पृष्ठ संख्या 77 पर संलग्न है) में सडक की चौडाई का अंकन नही है। अतः जोन स्तर पर जोन चैकलिस्ट अनुसार 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित है। 4. प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2023 में लिये गए निर्णय अनुसार ग्रामीण आबादी एवम् उसके चारों ओर 500 मीटर की दूरी को छोडकर शेष क्षेत्र में अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अग्निसुरक्षा बाबत् सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। 5. आवेदक द्वारा दिनांक 26.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 के भू–उपयोग एवं डी.सी.आर अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक तथा आवासीय भू–उपयोग में सामान्य वेयर हाउस उपयोग हेतु निवेदन किया गया है। 6. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 28.04.2022 की जा चुकी है। (प्रति पृष्ठ संख्या 25 पर संलग्न है।) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीन आवेदन अनुसार 90/क संशोधन के संबंध में निर्णय अपेक्षित है। 7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर कोई विद्युत लाईन नही है व मौके पर रिक्त है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 26.10.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के कम में समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

1. आवेदित भूमि को रीको के क्षेत्र से उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग रीको क्षेत्र की सडक से उपलब्ध होने के कारण आवेदक स्तर से उक्त के संबंध में रीको द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तावित दोनों उपयोगों को एक्जाई रूप में प्रयोग किया जावेगा जिसमें आने जाने के लिए मुख्य सडक को पहुंच मार्ग के तौर पर उपयोग में लिया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.02.2023 को जारी आदेश के प्रावधान संख्या 06 के कम में आवेदित भूमि को 18 मीटर पहुंच मार्ग उपलब्ध होने के कारण सामान्य वेयर हाउस अनुज्ञेय किया गया है।
4. उक्त दोनों उपयोगों हेतु पृथक–पृथक सेटबेक का निर्धारण किया जावें तथा वेयर हाउस (जो कि आवासीय में अनुज्ञेय हैं) हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पीछे की ओर स्थित औद्योगिक (Non-Obnoxious Industries) प्रयोजन तक आने–जाने के लिए निर्धारित सेटबैक को सम्पूर्ण रूप से खुला रखा जावें।
5. यदि आवेदक द्वारा भविष्य में उक्त उपयोग का विखण्डन किया जाकर उपयोग या बेचान किया जाता है तो उक्त स्थिति में मुख्य सडक से पीछे की ओर स्थित औद्योगिक प्रयोजन को नियमानुसार 18 मीटर का पहुँच मार्ग आवेदक से पृथक से उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा प्राधिकरण उक्त निर्णय को निरस्त कर आवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। उक्त की सुनिश्चितता हेतु पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन द्वारा आवेदक से अण्डरटेकिंग प्राप्त की जावें।
6. प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा औद्योगिक व सामान्य वेयर हाउस हेतु परीक्षण कर तदानुसार आवश्यकता होने पर जोन स्तर पर नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाकर 90/क आदेश के संशोधन की कार्यवाही की जावें।
7. प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2023 में लिए गए निर्णय अनुसार ग्रामीण आबादी एवम् उसके चारों ओर 500 मीटर की दूरी में आवेदित भूमि के अवस्थित नही होने के संबधं में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
8. प्रकरण में अग्निसुरक्षा बाबत् सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जावें।
9. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
10. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
12. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
13. औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि में मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
14. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।

	15. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 16. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्‌टा जारी किया जावें। 17. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 23 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन–3	तनावडा	501/34	836.12 वर्गमीटर	*औद्योगिक व क्लब हाउस एकल भूखण्ड*

आवेदक	मैसर्स आईमा विण्डोज जरिये श्रीमती मोहिनी पत्नी श्री राजाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 501/34 रकबा 836.12 वर्गमीटर में औद्योगिक व क्लब हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार लगभग आधा भाग औद्योगिक एवम् शेष भाग ओ.सी.एफ प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 2. आवेदक द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है, जो कि केवल औद्योगिक भू–उपयोग में अनुज्ञेय है, व ओ.सी.एफ में अनुज्ञेय नही है। मास्टर प्लान की औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 60 फीट सडक व अधिक मार्गाधिकार पर औद्योगिक एकल भूखण्ड अनुज्ञेय है। 3. राजस्व व प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका अनुसार 60 फीट व 100 फीट एवम् रेकर्ड अनुसार दर्ज नही है। उक्त सडक का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेन्ट प्लान में 24 मीटर दर्शित है। 4. आवेदित भूमि का 90/क आदेश किया जाना शेष है। 5. राजस्व व प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि पर चार दीवारी निर्मित है व सडक भाग से विद्युत लाईन गुजर रही है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत आवेदक द्वारा समिति के समक्ष दिनांक 22.12.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के कम में समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया :–** 1. राजस्व तहसीलदार व प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में 30 मीटर एवम् पूर्व दिशा में 18 मीटर सडक मार्गाधिकार निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक के मार्गाधिकार हेतु भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित दोनों उपयोगों को एक्जाई रूप में प्रयोग किया जावेगा जिसमें आने जाने के लिए मुख्य सडक को पहुंच मार्ग के तौर पर उपयोग में लिया जावेगा। 3. उक्त दोनों उपयोगों हेतु पृथक–पृथक सेटबेक का निर्धारण किया जावें तथा आने–जाने के लिए निर्धारित सेटबैक को सम्पूर्ण रूप से खुला रखा जावें। 4. यदि आवेदक द्वारा भविष्य में उक्त उपयोग का विखण्डन किया जाकर उपयोग या बेचान किया जाता है तो उक्त स्थिति में मुख्य सडक से पीछे की ओर स्थित औद्योगिक

	प्रयोजन को नियमानुसार 18 मीटर का पहुँच मार्ग आवेदक से पृथक से उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा प्राधिकरण उक्त निर्णय को निरस्त कर आवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। उक्त की सुनिश्चितता हेतु पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन द्वारा आवेदक से अण्डरटेकिंग प्राप्त की जावें। 5. प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा औद्योगिक व क्लब हाउस हेतु परीक्षण कर तदानुसार 90/क आदेश जारी किया जावें। 6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 7. आवेदित भूमि क सामने सडक भाग में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेफ्टी कोरीडोर का प्रावधान किया जावें। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 9. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 10. औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि में मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 11. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 12. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन–प्रार्थी स्तर पर की जावें। 13. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 14. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/571-576. दिनांकः– 22/12/23

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन–3), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 37/2023 वीं बैठक दिनांक 22.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवणसिंह राजावत, कार्यवाहक उपायुक्त (जोन–3) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री भूपेन्द्र कुमार, वरिष्ठ नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	
7.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
8.	प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur-rj@gov.inवेब–साईट https://urban.rajasthan.gov.in/jodaPhone No 0291 2612068/2654665 /Fax0291 2612068

क्रमांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2024 / 126 दिनांक :: 10/1/24

शुद्धि–पत्र

01.	बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 22.12.2023 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 17 आवेदक श्रीमती केलकीदेवी पत्नी श्री हरीराम की पत्रावली राजस्व ग्राम भाण्डू कलां खसरा सख्या 573 / 374 रकबा 1538 वर्गमीटर जोन–3 का एक ले–आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 22.12.2023 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवश राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द अंकित हो गया। अतः भविष्य में दिनांक 22.12.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू कलां पढा व समझा जावें एवं उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में सभी पत्र व्यवहार राजस्व ग्राम भाण्डू कलां से किए जावें तथा इस शुद्धि–पत्र को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावें। उक्त शुद्धि–पत्र केवल राजस्व ग्राम की टंकनीय त्रुटि सुधार हेतु ही जारी किया जा रहा है।
02.	बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 22.12.2023 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 18 आवेदक श्री हरीराम पुत्र स्व. श्री बींजाराम की पत्रावली राजस्व ग्राम भाण्डू कलां खसरा सख्या 566 / 374 रकबा 1562 वर्गमीटर जोन–3 का एक ले–आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 22.12.2023 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवश राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द अंकित हो गया। अतः भविष्य में दिनांक 22.12.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू कलां पढा व समझा जावें एवं उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में सभी पत्र व्यवहार राजस्व ग्राम भाण्डू कलां से किए जावें तथा इस शुद्धि–पत्र को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावें। उक्त शुद्धि–पत्र केवल राजस्व ग्राम की टंकनीय त्रुटि सुधार हेतु ही जारी किया जा रहा है।
03.	बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 22.12.2023 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 19 श्री हरीराम पुत्र श्री स्व. बींजाराम की पत्रावली राजस्व ग्राम भाण्डू कलां खसरा सख्या 576 / 374 रकबा 1582 वर्गमीटर जोन–3 का एक ले–आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 22.12.2023 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवश राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द अंकित हो गया। अतः भविष्य में दिनांक 22.12.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू कलां पढा व समझा जावें एवं उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में सभी पत्र व्यवहार राजस्व ग्राम भाण्डू कलां से किए जावें तथा इस शुद्धि–पत्र को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावें। उक्त शुद्धि–पत्र केवल राजस्व ग्राम की टंकनीय त्रुटि सुधार हेतु ही जारी किया जा रहा है।
04.	बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 22.12.2023 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 20 आवेदक श्री हरीराम पुत्र स्व. श्री बींजाराम की पत्रावली राजस्व ग्राम भाण्डू कलां खसरा सख्या 577 / 374 रकबा 1574 वर्गमीटर जोन–3 का एक ले–आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 22.12.2023 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवश राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द अंकित हो गया। अतः भविष्य में दिनांक 22.12.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू कलां पढा व समझा जावें एवं उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में सभी पत्र व्यवहार राजस्व ग्राम भाण्डू कलां से किए जावें तथा इस शुद्धि–पत्र को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावें। उक्त शुद्धि–पत्र केवल राजस्व ग्राम की टंकनीय त्रुटि सुधार हेतु ही जारी किया जा रहा है।
05.	बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 22.12.2023 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 21 आवेदक श्री चन्द्राराम पुत्र श्री सालुराम की पत्रावली राजस्व ग्राम भाण्डू कलां खसरा सख्या 574 / 374 रकबा 4856.22 वर्गमीटर वर्गमीटर जोन–3 का एक ले–आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 22.12.2023 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवश राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द अंकित हो गया। अतः भविष्य में दिनांक 22.12.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में राजस्व ग्राम भाण्डू खुर्द के स्थान पर राजस्व ग्राम भाण्डू कलां पढा व समझा जावें एवं उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में सभी पत्र व्यवहार राजस्व ग्राम भाण्डू कलां से किए जावें तथा इस शुद्धि–पत्र को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावें। उक्त शुद्धि–पत्र केवल राजस्व ग्राम की टंकनीय त्रुटि सुधार हेतु ही जारी किया जा रहा है।

उप नगर नियोजक

क्रमांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2024 / दिनांक ::

प्रतिलिपी :– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदया, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन–3), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

उप नगर नियोजक

COM-P-D:\2019\LPC\GENRAL LETER